



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032025-261769  
CG-DL-E-20032025-261769

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1310]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2025/फाल्गुन 28, 1946

No. 1310]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2025

का.आ. 1328(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय क्वालिटी परिषद के राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रत्यायन के परिणामस्वरूप, भारत सरकार, खान मंत्रालय के तारीख 12 अगस्त, 2021 के आदेश संख्या एम.वी-16/15/2021-खान VI के द्वारा जारी प्रत्यायित निजी खोज अभिकरणों को अधिसूचित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार “श्रेणी ‘क’ खोज अभिकरणों” के अधीन, मैसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित करती है।

2. उक्त अभिकरण, उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में पूर्वेक्षण संक्रियाएं करेगा।

3. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या स्वीकृत प्रत्यायन के अवसान पर या समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, प्रवृत्त रहेगी।

4. यह अधिसूचना मैसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में तारीख 29 सितंबर, 2022 की पूर्व अधिसूचना का.आ. 4596(अ) का अधिक्रमण करती है।

[फा. सं. एम.वी-16/22/2022-खान VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF MINES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2025

**S.O. 1328(E).**—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and consequent upon accreditation provided by the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India, the Central Government hereby notifies the M/s Geo Marine Solutions Private Limited under “Category ‘A’ Exploration Agencies” as per the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India in the Ministry of Mines *vide* order No. M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12th August, 2021.

2. The said agency shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the said guidelines.
3. This notification shall remain in force for a period of three years from the date of its publication or till the expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.
4. This notification supersedes the earlier notification S.O. 4596(E) dated 29th September 2022 in respect of M/S Geo Marine Solutions Pvt. Ltd.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032025-261768  
CG-DL-E-20032025-261768

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1309]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2025/फाल्गुन 28, 1946

No. 1309]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2025

का.आ. 1327(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय क्वालिटी परिषद के राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रत्यायन के परिणामस्वरूप, भारत सरकार, खान मंत्रालय के तारीख 12 अगस्त, 2021 के आदेश संख्या एम.VI-16/15/2021-खान VI के द्वारा जारी प्रत्यायित निजी खोज अभिकरणों को अधिसूचित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार “श्रेणी ‘क’ खोज अभिकरणों” के अधीन, मैसर्स माइनिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित करती है।

2. उक्त अभिकरण, उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में पूर्वेक्षण संक्रियाएं करेगा।

3. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या स्वीकृत प्रत्यायन के अवसान पर या समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एम.VI-16/22/2022-खान VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF MINES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2025

**S.O. 1327(E).**—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and consequent upon accreditation provided by the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India, the Central Government hereby notifies the M/s Mining Associates Private Limited under “Category ‘A’ Exploration Agencies” as per the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India in the Ministry of Mines *vide* order No. M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12<sup>th</sup> August, 2021.

2. The said agency shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the said guidelines.

3. This notification shall remain in force for a period of three years from the date of its publication or till the expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.